न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–64 / 2017 दायर दिनांक– 10.06.2017
GCMS NO:- 2017/00155 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

राधेश्याम आ0 चौथमल जाति धाकड नि0 करवर तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 6)
प्रार्थीगण

बनाम

रामदयाल आ0 किशन गोपाल किशन गोपाल जाति धाकड नि0 करवर तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 2)
अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर।
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम करवर मे भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसकी चर्तुसीमा मे पूर्व मे त्रिलोक की भूमि, पश्चिम मे रास्ता व प्रत्यार्थी की भूमि, उत्तर मे प्रत्यार्थी की भूमि व दक्षिण मे नाथू धाकड की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि को पत्थरगढी कराकर डोल लगाना चाहते है परन्तु प्रत्यार्थीगण डोल लगाने के आडे फिरते है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र तहसील मे दिया था। पटवारी जी मौके पर गये तो प्रत्यार्थीगण ने विवाद खडा कर दिया जिससे पत्थरगढी नही हो सकी।

यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण की भूमि का नाम चौप कराकर पत्थरगढी करवाये व अपनी भूमि की सीमा मे डोल लगावें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस सूनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम करवर मे स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा पर अप्रार्थीगण डोल लगाने के लिए आडे फिरने से उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिस पर अप्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की सीमाबंदी गलत दर्ज की गयी है तथा झूठे आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 06 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम करवर मे खसरा नम्बर 562 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा